

18/1/23

पत्रावली पेश हुई। पत्रकारक वकील उप. है।
नामील पत्रावली दिनांक 30/1/23 को पेश हो। इन्तजार

इन्तेज

उपखण्ड

उपखण्ड, जयपुर

30/1/23

पत्रावली पेश हुई। पत्रकारक वकील उप. है। अप्रार्थिजिन
बावछद R.G. नामील, सूचना के दाजीर नहीं है। दावा तजालमे क
विचाराधीन है। अप्रार्थिजिन बावछद R.G. नामील के दाजीर दोस
अपने हकों से पैरवी नहीं कर रहे हैं। इससे प्रार्थी का
प्रार्थना फल स्वतः ही लाभित होने से उभयपक्षों को अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर स्थगन आदेश दिनांक
28/1/22 का ताजैसलावाक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली
बाद तजमील नामील दफ्तर हो।

इन्तेज

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड, जयपुर